1

न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद्र जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः पी०सी०आर्य)

विशेष डकेती प्रकरण कमांकः 33 / 2015 संस्थित दिनांक-31.03.2009

फाईलिंग नंबर—230303002692009 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा– आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला–भिण्ड (म०प्र०) अभियोजन. वि रू द्ध जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरनसिंह गुर्जर 1. उम्र 30 साल निवासी ग्राम पिपरई थाना सरायछोला पोस्ट हेतमपुर पप्पू उर्फ हावड़ा पुत्र कम्मोदसिंह उम्र 51 साल 2. निवासी ग्राम चपरौली थाना मनिया पवन पुत्र मोहनसिंह उम्र 26 साल 3. निवासी कासगंज पी०एस० मनिया जिला धौलपुर महेश पुत्र रायसिंह उम्र 35 साल 4. निवासी धर्मपुरा थाना मनिया जिला धौलपुर राजवीर पुत्र बाबूसिंह उम्र 39 साल 5. निवासी पिपरई थाना सरायछोला नरेश पुत्र सुल्तानसिंह उम्र 28 साल 6. निवासी पिपरई थाना सरायछोला पोस्ट हेतमपुर उपस्थित अभियुक्तगण रामाधार सिंह पुत्र राजारामसिंह गुर्जर निवासी 7. कासगंज पी०एस० मनिया जिला धौलपुर राजेन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद जाटव निवासी धर्मपुरा 8. पी0एस0 मनिया फरार अभियुक्तगण जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र गोपालसिंह गुर्जर 9. निवासी नूराबाद धारा–317(2)दप्रसं के अंतर्गत मामला पृथक रामवीर गुर्जर पुत्र सोनेराम गुर्जर 10. निवासी ग्राम पिपरई थाना सरायछोला जिला मुरैना आदेश दिनांक 03.03.14 के आदेशानुसार उन्मोचित

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक आरोपीगण जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरण, नरेश, पवन, पप्पू, राजवीर, एवं महेश द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता

—::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक **05 फरवरी 2016** को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. अभियुक्तगण जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरनिसंह गुर्जर, नरेश, पवन, पप्पू, राजवीर व महेश के विरूद्ध धारा 394, 397 सहपिटत धारा—34 भा0द0वि0 एवं धारा—11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 23.10.08 की रात 8.30 बजे बी0आर0एस0 फूड्स लिमिटेड के 100 मीटर पहले आम रोड तिराहे के पास औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर थाना मालनुपर के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपियों के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में पिरवादी गुरूइकबालिसंह से दूध पावडर के 800 बैग वजनी करीब 20 टन सिहत द्रक क्रमांक—पी0बी0—23 डी—6175, नगदी पन्द्रह हजार रूपये, नोिकया मोबाईल और एक अन्य मोबाईल कट्टा अड़ाकर एवं चालक, क्लीनर और भद्रसेन को उपहितकारित करके लूटा।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 23.10.08 को रात 8.30 बजे घटनास्थल बी0आर0एस0 फूड्स लिमिटेड मालनपुर मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक—एफ— 91.07.81 बी—21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक—2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। तथा यह भी निर्विवादित है कि प्रकरण में आरोपी रामाधारसिंह एवं राजेन्द्र के विरुद्ध धारा—299 दप्रसं के अंतर्गत फरारी कार्यवाही कर उन्हें फरार घोषित किया गया है। तथा आरोपी जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र गोपालसिंह गुर्जर के विरुद्ध धारा—317(2) दप्रसं के अंतर्गत मामला पृथक किया गया है। एवं आरोपी रामवीर को आदेश दिनांक 03.03.14 के अनुसार उन्मोचित किया गया है।
- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 3. 24.10.08 को फरियादी गुरूइकबालसिंह निवासी फतेहगढ जिला पंजाब ने थाना मालनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट की कि दिनांक 23.10.08 को वह अपने द्रक कमांक—पी०बी०—23 डी—6175 में दिनांक 23.10.08 को व्ही०आर०एस० फैक्ट्री मालनपुरसे 800 बोरी मिल्क पाउडर के भरकर मोगा पंजाब के लिये जाने के लिये शाम साढे आठ बजे फैक्ट्री से करीब 100 मीटर निकल पाया कि पीछे से मार्शल में आये अज्ञात बदमाशों ने मार्शल को आगे लगाकर रोक लिया। और उन्होंने बताया कि सब फैक्ट्री के आदमी है। सबको खालियर जानाा है। चार बदमाश ग्वालियर जाने की कहकर द्रक के अंदर घुस आये और उसकी व क्लीनर परगटसिंह व सुपरवाईजर भद्रसेन की मारपीट कर हाथ पैर बांध दिये। उनमें से एक बदमाश द्रक को चलाने लगा। द्रक को ग्वालियर होते हुए नूराबाद के आगे ले गये। वहाँ उन तीनों की आंखों पर पट्टी बांधकर झाड़ियों में दो आदमी ले गये। दो आदमी द्रक लेकर चले गये। वह लोग उसकी जेब से 1500रूपये नगद, व एक मोबाईल नंबर-9417674532 सिमकला नोकिया कंपनी और एक मोबाईल भद्रसेन का हम लोगों के मुंह में कट्टा अड़ाकर ले गये। द्रक में 25 किलोग्राम के 800 कट्टे दूध पाउडर के भरे थे। मारने पीटने से उसके दांहिनी व

3

बांयी आंख में शरीर में जगह जगह चोटें आईं। क्लीनर व भद्रसेन को भी जगह जगह चोटें आईं। वह दो आदमी दस बजे से चार बजे सुबह तक उनके पास रहे। बाद में चले गये। तब उन्होंने एकदूसरे के हाथ पैर खोले। करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर रोड़ पर आये। वहाँ से बस में बैठकर ग्वालियर में संधू के ट्रान्स्पोर्ट पर ट्रान्स्पोर्टर पलविंदर संधू को सारी बात बताई। चारौ बदमाश करीब 30—35 साल के थे जिनमें एक कुर्ता पाजाम, व शेष तीन बदमाश शर्ट पहने थे। चारौ बदमाश मुरैना धौलपुर तरफ की भाषा बोल रहे थे। जिन्हें वह सामने आने पर पहचान लेंगे।

- 4. उक्त आशय की रिपोर्ट थाना प्रभारी मालनपुर को करने पर अप०क०—133 / 08 पर धारा—394, 397 भाठद०विठ एवं 11 / 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०केठ एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं जप्ती गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम एवं कथन आदि की संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
- 5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धाराधारा 394, 397 सहपिटत धारा—34 भा०द०वि० एवं धारा—11, 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने पलविन्दर ने फैक्ट्री वालों के साथ मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम देना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया है तथा झूंटा फसाया जाना कहा है। आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 23.10.08 की रात 8.30 बजे बी0आर0एस0 फूड्स लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर थाना मालनुपर के डकैती प्रभावित क्षेत्र होते हुए द्रक क्रमांक— पी0बी0—23 डी—6175 को मय माल लूटने के लिये आपस में मिलकर सामान्य आशय का निर्माण किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में व्ही0आर0एस0 फूड्स लिमिटेड मालनपुर से 100 मीटर पहले आम तिराहा के पास उक्त द्रक की लूट की और लूट करने में द्रक के ड्रायवर गुरू इकबाल, क्लीनर परघटसिंह एवं कर्मचारी भद्रसैन को स्वेच्छ्या उहुपति कारित की ?
- 3. क्या आरोपीगणने उक्त सुसंगत घटना में मृत्यु या घोर उपहति करने के प्रयत्न के साथ लूट की?

<u>-::-निष्कर्ष के आधार</u> :-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 2 एवं 3 का निराकरण

7. उपरोक्त समस्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से

बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

4

- 8. परीक्षित अभियोजन साक्षियों में से यशपालसिंह अ०साा०—1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह वर्ष 2004 से औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में स्थित व्ही०आर०एस० फूड्स लिमिटेड में फैक्ट्री मैनेजर के पद पर पदस्थ है। उनकी कंपनी में दूध, घी एवं दूध से बने उत्पादों का निर्माण होता है और कंपनी द्वारा तैयार किये गये उत्पाद संपूर्ण भारतवर्ष में भेजे जाते हैं। इस साक्षी का यह भी कहना है कि दिनांक 20.10.08 को उसने संधू ट्रान्स्पोर्ट को माल बाहर भेजने के लिये वाहन उपलब्ध कराने को कहा था। तो संधू ट्रान्स्पोर्ट की ओर से दूसरे दिन उनकी कंपनी का माल भेजने के लिये चार गाडियाँ फैक्ट्री में भेजी जिनमें से दो गाडियाँ माल भरकर 21 तारीख को उनकी कंपनी से रवाना हो गयी और एक गाडी 22 तारीख को माल भरकर रवाना हुई तथा चौथी गाडी 23 तारीख को शाम के समय माल भरकर मोगा (पंजाब नेस्ले कंपनी) की ओर रवाना की गई थी। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि संधू ट्रान्स्पोर्ट का मालिक पलविन्दरसिंह संधू है।
- 9. इस संबंध में पलविन्दरसिंह अ०सा०—4 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में व्हीं०आर०एस० फूड्स कंपनी मालनपुर में होना और उनका माल भेजने के लिये गाडियाँ उसके द्वारा उपलब्ध कराई जाना बताया है। इसी तरह का अभिसाक्ष्य राजेन्द्रसिंह अ०सा०—5 ने भी दिया है और भद्रसेन अ०सा०—14 ने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह पारस कंपनी मालनपुर में डिस्पैच विभाग में कार्यरत था जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि व्ही०आर०एस० फूड्स लिमिटेड की मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में दूध, घी और दूध के उत्पादों के निर्माण की इकाई है जिसमें यशपाल फैक्ट्री मैनेजर था। भद्रसैन कर्मचारी था और डिस्पेच विभाग में था। तथा संधू ट्रान्स्पोर्ट जिसका मालिक पलविन्दरसिंह है उसे गालियाँ भेजने का कॉन्ट्रैक्ट था।
- 10. यशपालसिंह अ०सा०–1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि 23 तारीख को जो गाडी मोगा पंजाब की ओर रवाना की गई थी उसके संबंध में अगले दिन 24 तारीख को संधू ट्रान्स्पोर्ट के मालिक पलविन्दरसिंह संधू के द्वारा उसे फोन पर इस आशय की सूचना दी गई थी कि जो गाडी माल भरकर मोगा पंजाब के लिये गयी थी उसे रास्ते में लूट लिया गया है और लूटेरों ने वाहन के चालक व कण्डक्टर की मारपीट की है। उस गाडी में फैक्ट्री का कर्मचारी भद्रसेन भी गया था। उसे भी लूटेरों ने बांधकर डाल दिया था। और पलविन्दर ने उसकी भद्रसेन से मोबाईल पर बात कराई थी तब भद्रसेन ने उसे घटना की जानकारी दी थी कि फैक्ट्री से करीब 100 मीटर चलने के बाद ही 7–8 लोगों ने गाडी को रोककर ड्रायवर व कण्डक्टर को सीट से हटा दिया था और सबको बांध दिया था। और कुछ बोलने की कोशिश करने पर गोली मारने की धमकी दी थी। लूटेरों में से एक चालक सीट पर बैठकर गांडी को चलाकर ले गया था। कुछ लोग उसी गाडी में बैठकर गये थे और कुछ बदमाश जिस बुलेरो गाड़ी से आये थे उसमें बैठकर गये थे। और रास्ते में नूराबाद के आसपास उन्हें गाड़ी से उतार दिया व आंखों पर पट्टी बांधकर दूर जंगल में ले गये थे और सुबह चार पांच बजे बदमाश उन्हें जंगल में छोड़कर चले गये फिर वे तीनों (ड्रायवर कण्डक्टर व भद्रसेन) ने आपस में एकदूसरे की पट्टी व हाथ पैरों को रस्सियों से खोला था। फिर वे किसी वाहन से बैठकर संधू ट्रान्स्पोर्ट के दफ्तर पर आये थे। उसके बाद

फोन कट गया था। फिर उसने फैक्ट्री की एच0आर0 मैनेजर मुकेश सक्सेना को इस बारे में सूचित किया था। और वह, मुकेश सक्सेना संधू द्रांस्पोर्ट के कार्यालय गये थे। ड्रायवर कण्डक्टर चोटिल अवस्था में देखे थे जिनके शरीर व आंखों पर चोटें थीं। भद्रसेन उस समय वहाँ नहीं मिला था। भद्रसेन अपने कमरे पर भी नहीं मिला था। जिसे देखने मुकेश सक्सेना गया था फिर मुकेश सक्सेना पलविन्दर व ड्रायवर कण्डक्टर थाने पर गये थे। और ड्रायवर ने रिपोर्ट लिखाई थी।

- पलविन्दर अ०सा०–४ ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि जिस गाडी की लूट हुई थी उस टक का नंबर -पी0बी0 23डी-6175 था जिसे गुरू इकबाल चलाकर ले गया था। घटना के संबंध में घटना के दूसरे दिन उनके कार्यालय के राजेन्द्रसिंह ने उसे फोन से सूचना दी थी कि व्ही0आर0एस0 फूड्स लिमिटेड कंपनी मालनपुर से माल भरकर मोगा पंजाब के लिये गई गाडी को मालनपुर से कुछ दूरी पर कुछ लोग लूटकर ले गये हैं और चालक को लुटेरों ने बांध दिया था जो छूटकर कार्यालय में आया। चालक गुरू इकबाल ने कार्यालय को सूचना दी। उसी आधार पर राजेन्द्र ने उसे सूचना दी। फिर चालक गुरू इकबाल को वह रिपोर्ट के लिये थाना मालनपुर ले गया और रिपोर्ट लिखाई। पुलिस वाले चालक को लेकर घटनास्थल पर भी गये थे। जहाँ लुटेरों ने उन्हें बांधकर डाला था वहाँ भी गये थे। वह भी साथ में गया था। और चालक ने नूराबाद के पास टेकरी स्थान के पास ल्टेरों के द्वारा बांधकर डालना बताया था। रास्ते में मिलने वालें टोल टैक्स वैरियरों पर उसने और पुलिस ने कंपनी के द्रक के निकलने के संबंध में जानकारी ली थी। अगले दिन द्रक के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी कि द्रक धौलपुर के सैंया कस्बे के आगे आगरा वाईपास की तरफ खाली खडा है। जहाँ से पुलिस उसे जप्त करके लाई थी। पुलिस ने द्रक में रखे वाहन के कागज, टोल टैक्स बैरियरों की रसीद जप्त कर प्र0पी0—12 का जप्ती पत्रक बनाना वह कहता है। उसका यह भी कहना है कि कंपनी वालों से उनका माल भेजने का कॉन्द्रैक्ट था। चालक गुरू इकबाल ने घटनाकारित करने वालों के नाम पते उसे नहीं बताये थे। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य राजेन्द्रसिंह अ०सा०–5 ने भी दिया है।
- गुरूइकबाल अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि 7-8 12. साल पहले की घटना है वह मालनपुर से पारस फैक्ट्री के दूध का पावडर द्रक कमांक-पी०बी०-23 डी / 6175 में भरकर ले जा रहाथा । वह द्रक को चला रहा था। मालनपुर से कुछ दूर पर ही एक बुलैरो गाडी में तीन चार लोग आये थे जिनमें से एक ने उसकी आंख पर मुक्का मारा था जिससे आंख में चोटें आई थीं। एक बदमाश ने उसे पकड़कर चालक सीट से खींच लिया था और दूसरा बदमाश चालक सीट पर बैठकर द्रक को चलाने लगा था। और उसे बांधकर द्रक में पीछे लिटा दिया था रास्ते में जे0के0 फैक्ट्री के पास उसे द्रक से उतारा था और जंगल में ले गये थे। और हाथ पैर बांधकर छोड़ दिया था। उसके पास परघट सिंह जो कि क्लीनर था उसकी भी मारपीट की थी और दोनों को चोटें आई थीं। दिन निकलने पर वह और परघट अपने अपने हाथ पैर खोलकर जंगल से पैदल चलकर रोड पर आये और फिर ए०बी० रोड पर आये । फिर बस में बैठकर संधू ट्रान्स्पोर्ट कंपनी ग्वालियर पहुंचे थे। फिर ट्रान्स्पोर्ट वाले उन्हें मालनपुर थाने लाये थे। तब उसने घटना की प्र0पी0-19 की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने उसके साथ घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा

प्र0पी0—20 भी बनाया था। जिस व्यक्ति ने गाडी लोड कराई थी उसका नाम पलिवन्दर हो तो उसे पता नहीं है। पारस फैक्ट्री से माल भरके रात करीब साढे आठ बजे रवाना हुए थे। बदमाश जिस गाडी से आये थे वह सफेद रंग की गाड़ी थी और एम0पी0 पास थी और बदमाशों ने उनकी गाडी के आगे तिरछी लगा दी थी जिससे उन्हें अपनी गाड़ी रोकना पड़ी थी। फिर बदमाशों ने तीनों अर्थात् उसे परघट व पलिवन्दर को भी आंखों पर पट्टी बांधकर तीनों के हाथ पैर रस्सी से बांध दिये थे। उसका यह भी कहना है कि द्रक में 800 कट्टे दूध के पाउडर के भरे थे और प्रत्येक कट्टे का वजन 25 किलो था। बदमाशों ने उसका मोबाईल फोन भी लूटा था। रात में जंगल में बदमाश उन तीनों को बांधकर डाले रहे थे। सुबह करीब चार बजे के बाद बदमाश चले गये थे। जो 30—35 साल की उम्र के थे। एक कुर्ता पाजामा पहने था और शेष पेन्ट शर्ट पहने थे और मुरैना धौलपुर की भाषा बोल रह थे।

- 13. भद्रसेन अ०सा०–14 ने अपने अभिसाक्ष्य में पारस फैक्टी से 100 मीटर की दूरी की बताते हुए यह कहा है कि पांच छः लडके वाहन से आये थे और उनके द्रक पर चढ गये थे। उनकी आंखों पर पटटी बांधी थी और मारपीट की थी तथा गाडी लेकर चले गये। चालक कण्डक्टर और उसे अलग–अलग हाथ पैर बांधकर डाल दिया था। वे घिसटकर एकदूसरे के पास आये थे। फिर उन्होंने अपने हाथ पैर खोलकर रोड पर आकर ट्रान्स्पोर्ट नगर ग्वालियर आये थे और ट्रान्स्पोर्ट के मैनेजर व द्रक के मालिक को फोन किया था फिर वे आ गये थे। उन्हें घटना के बारे में बताया था। द्रक के चालक व क्लीनर को ज्यादा चोटें थी। उसे लात घुंसों से मारा था उसे कम चोटें आई थीं इसलिये अस्पताल नहीं आया था। उनकी फैक्ट्री से द्रक में 800 बैग भरे गये थे। बदमाश नोकिया कंपनी का मोबाईल व तीन हजार रूपये भी लूटकर ले गये थे। और कट्टा बंदूक से भय दिखाकर बंधक बनाया था और वह सफेद रंग की मार्शल गाड़ी में बैठकर आये थे। उक्त प्रकार की साक्ष्य का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में खण्डन नहीं हुआ है जिससे इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि दिनांक 23.10.08 की शाम के समय व्ही०आर०एस० फूड फैक्ट्री की मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित पारस फैक्ट्री से दूध पाउडर के बैग मोगा पंजाब के लिये भरकर रवाना किये गये थे। जो आठ सौ बैग थे। और फैक्ट्री से निकलने के बाद मालनपुर क्षेत्र में ही लूट की घटना हो गयी थी तथा चालक, क्लीनर व फैक्ट्री के कर्मचारी भद्रसेन बंधक बनाकर भी लुटेरे ले गये। और उन्हें रास्ते में मुरैना के आसपास के जंगल में छोड़ा जिस द्रक में माल ले जाया गया था। वह संधू ट्रान्स्पोर्ट का होना और उस पर गुरूइकबाल ड्रायवर होना, परघटसिंह क्लीनर होना भी प्रमाणित होता है। द्रक क्रमांक-पी०बी०-23 डी-6175 से माल भरकर गया था। यह भी उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य से स्पष्ट होता है। जैसा कि प्र0पी0-19 की एफ0आई0आर0 में भी घटना बताई गई है। द्रक संधू ट्रान्स्पोर्ट का था, यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। और संधू ट्रान्स्पोर्ट का का मालिक पुलविन्दरसिंह अ०सा०–४ होना राजेन्द्रसिंह अ०सा०-५ उसका कर्मचारी होना भी प्रमाणित है।
- 14. प्रकरण में परघटिसंह जो कि घटना का आहत है, उसके विचारण के दौरान फोत हो जाने से उसका परीक्षण नहीं हुआ है। किन्तु अ०सा०–1, 4, 5, 13 व 14 के अभिसाक्ष्य से प्र०पी०–19 की एफ०आई०आर० में बताई गई लूट की घटना होना प्रमाणित होता है जिससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि जो द्रक

लूटा गया उसमें व्ही0आर0एस0 फूड्स लिमिटेड के दूध पाउडर के बैग भेजे जा रहे थे। लूट की घटना पारस फैक्ट्री से 100 मीटर आगे घटित होना प्र0पी0—19 में बताया गया है। जिसकी पुष्टि भी यशपालिसंह अ0सा0—1 एवं गुरू इकबाल अ0सा0—13 की साक्ष्य से होती है और उनके अभिसाक्ष्य में यह भी स्पष्ट रूप से आया है कि रिपोर्ट के बाद घटनास्थल पर पुलिस उन्हें लेकर गयी थी। तथा गुरू इकबाल ने पुलिस को घटनास्थल भी बताया था जिसका पुलिस ने प्र0पी0—20 का नक्शामौका भी तैयार किया गया। प्र0पी0—20 के नक्शामौका की पुष्टि गुरू इकबाल अ0सा0—13 के अभिसाक्ष्य से होती है जिसका समर्थन घटना के विवेचक एस0डी0ओ0पी0 आत्माराम शर्मा अ0सा0—12 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है कि उनके द्वारा उक्त नक्शामौका तैयार किया गया था। प्र0पी0—20 के संबंध में कोई अन्यथा तथ्य अभिलेख पर प्रकट नहीं हुआ है जिससे लूट की घटना पारस फैक्ट्री से 100 मीटर आगे मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में ही घटित हो जाना ओर दक के चालक, क्लीनर व उसमें बैठकर जा रहे कर्मचारी भद्रसेन को लुटेरों के द्वारा बंधक बना लिया जाना और दूर ले जाकर जंगल में छोड़ना भी प्रमाणित होता है।

- 15. घटनास्थल के बारे में प्रकरण में पटवारी श्रीमती सुनील शर्मा अ0सा0—6 के अभिसाक्ष्य से भी होती है जिसके द्वारा दिनांक 01.11.08 को ग्राम सिंघवारी पटवारी हलका नंबर—26 जो कि कस्बा मालनपुर के पास है, वहाँ की घटना होना और उसका प्र0पी0—13 का नक्शामौका तैयार करना बताया है जिसके संबंध में भी कोई अन्यथा तथ्य नहीं आया है और अ0सा0—6 ने यह भी कहा है कि पुलिस वालों ने जो घटनास्थल दिखाया था उसका नजरी नक्शा बनाया था। प्र0पी0—13 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि व्ही0आर0एस0 फूड्स लिमिटेड फैक्ट्री से एस0आर0एफ0 फैक्ट्री की ओर रास्ते में घटना घटित हुई है अर्थात् वह मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र की ही होना उससे भी प्रमाणित होता है।
- प्र0पी0—19 की एफ0आई0आर0 का वृतांत जिसमें लूट की घटना चार अज्ञात लोगों के द्वारा घटित की जाना बताया गया है, उसकी पृष्टि गुरूइकबाल अ०सा०—13 के अभिसाक्ष्य से एवं एफ०आई०आर० लेखक और घटना के विवेचक आत्माराम शर्मा एस०डी०ओ०पी० अ०सा०–12 के अभिसाक्ष्य से होती है। जिसमें गुरू इकबालक द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर ही प्र0पी0-19 की एफ0आई0आर0 दर्ज करना और उसकी निशादेही पर प्र0पी0–20 का नक्शामौका घटनास्थल पर जाकर तैयार किया जाना बताया गया है। जिसके संबंध में कोई अन्यथा तथ्य दोनों ही साक्षियों की अभिसाक्ष्य में नहीं आये हैं। गुरू इकबाल अ0सा0–13 के अभिसाक्ष्य में यह अवश्य आया है कि घटना के समय अंधेरी रात थी। लुटेरों की पहचान के संबंध में अभी आगे विश्लेषण किया जावेगा। किन्तु लूट की घटना घटित होना और उसमें संधू ट्रान्स्पोर्ट का द्रक कमांक-पी0बी0-डी-6175 जिसमें मिल्क पाउंडर के 800 बैंग भरे हुए थे उन्हें लूटकर ले जाया जाना तथा लूट की घटना में ड्रायवर, कण्डक्टर और फैक्ट्री के कर्मचारी की मारपीट कर उपहति पहुंचाई जाना बताया गया है। उपहति के संबंध में भद्रसैन अ0सा0–14 ने यह कहा है कि उसे लात घूंसों से मारा गया था। उसे ज्यादा चोटें नहीं आई थीं इसलिये वह अस्पताल नहीं गया था। इससे भद्रसैन का विवेचना के दौरान चिकित्सीय परीक्षण न होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है। चूंकि क्लीनर परघटसिंह फोत हो चुका है इसलिये उसका परीक्षण

न होने का भी अभियोजन के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है। और उससे आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसा कि आरोपीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में आधार लिया गया है। लेकिन यह अवश्य है कि अन्य बिन्दुओं पर साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना आवश्यक है। क्योंकि रिपोर्ट अज्ञात में है और विवेचना के दौरान अभियुक्तों की शिनाख्ती की कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिसके संबंध में भी बचाव पक्ष की ओर से तर्कों में दोषमुक्ति का आधार लिया गया है जिस पर आगे विश्लेषण किया जावेगा।

- 17. प्रकरण में परीक्षित डाँ० संतोष सोनी अ०सा०—11 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 12.10.08 को मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए पुलिस मालनपुर के आरक्षक कुलदीपिसंह द्वारा आहत गुरू इकबाल को मेडिकल परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसकी चोटों का परीक्षण किया था जिसमें बांई आंख के उपर सूजन व लालिमा, दांयी आंख के अंदर खून के निशान तथा दांहिने पैर पर चोट होकर सूजन पाई थी। आहत की चोट सख्त व मौथरी वस्तु से परीक्षण करने से 12 से 24 घण्टे के भीतर की संभावित थी और साधारण प्रकृति की थीं जिसकी उसने प्र0पी0—17 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी। उसी दिन आहत परघटसिंह की चोटों का परीक्षण करने पर भी उसकी बांयी आंख के उपर लालिमा, बांई जांघ पर चोट का निशान, दांये घुटने पर चोट होकर शरीर में कई जगह दर्द की शिकायत पाई थी। उसकी चोटें भी परीक्षण करने के 12 से 24 घण्टे के भीतर की होकर सख्त व मौथरी वस्तु से आना संभावित थीं और साधारण प्रकृति की थीं। चोट क0—3 दांहिने घुटने के एक्सरे परीक्षण की सलाह देते हुए उसने प्र0पी0—18 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी। और यह अभिमत भी दिया है कि दोनों आहतों की चोटें मोटरसाईकिल से गिरने पर आना संभव है।
- उक्त चिकित्सक के अभिसाक्ष्य से और प्र0पी0-17 व 18 की मेडिकल 18. रिपोर्ट के आधार पर आहत गुरू इकबाल और परघटसिंह को साधारण प्रकृति की शरीर पर चोटें होना और सख्त व मौथरी वस्तु से पहुंचाई जाना प्रमाणित होता है। प्र0पी0—17 एवं 18 के मुताबिक गुरू इकबाल एवं परघटसिंह का मेडिकल परीक्षण दिनांक 24.10.08 को दोपहर करीब डेढ़ बजे हुआ था और चिकित्सीय राय मृताबिक 12 से 24 घण्टे के अंतराल की चोटें बताई गई हैं जिससे उनकी चोटें 23.10.08 के दोपहर डेढ बजे से लकर रात डेढ बजे क दरम्यान की होना परिलक्षित होता है और प्र0पी0—19 की एफ0आई0आर0 के मुताबिक घटना का प्रारंभ दिनांक 23.10.08 के रात साढे आठ बंजे से दिनांक 24.10.08 के दोपहर बारह बजे के पूर्व की अवधि का है जिससे बताई गई चोटें घटना के समय की होना संभावित प्रकट होती हैं। अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति या साक्ष्य नहीं है जिससे आहतगण की चोटें मोटरसाईकिल से गिरने से आना प्रकट होता हो। बल्कि उसके संबंध में आहत गुरू इकबाल अ०सा०–13 ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे एक बदमाश ने आंख पर मुक्का मारा था और ड्रायवर सीट से खींच लिया था। आंख पर उसे चोटें आई थीं। हाथ पैर बांधना भी वह कहता है।
- 19. भद्रसेन अ०सा०–14 लात घूंसों से मारपीट करना बताता है। गुरू इकबाल अपनी तरह ही परघट सिंह की भी मारपीट करना बताता है और यशपालसिंह अ०सा०–1, पलविन्दर की भद्रसेन के मोबाईल फोन पर दी गई सूचना में भी उसका समर्थन करता है। तथा पलविन्दरसिंह अ०सा०–4 एवं राजेन्द्र

अ0सा0—5 भी गुरू इकबाल और परघटसिंह के चोटिल होने की पुष्टि अपने अभिसाक्ष्य में करते हैं जिससे आहतगण की चोटें लूट की घटना में ही लूट करने वालों के द्वारा कारित की जाना प्रमाणित होता है। लूट की घटना आरोपीगण के द्वारा कारित की गई या नहीं की गई, यह आगे विश्लेषित करना होगा तभी उन्हें प्रकरण की लूट की घटना से कड़ी के रूप में जोड़ा जा सकता है।

- 20. पलविन्दर अ०सा०—4 और राजेन्द्रसिंह अ०सा०—5 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी०—12 के जप्ती पत्रक का समर्थन किया गया है जिसमें दोनों ने ही इस बात की पुष्टि की है कि द्वक धौलपुर से आगे आगरा वाईपास की तरफ रास्ते में खाली खड़ा हुआ जप्त हुआ था। प्र०पी०—12 की कार्यवाही विवेचक आत्माराम शर्मा अ०सा०—12 के द्वारा की जाना बताया गया है जिसमें उसने द्रक कमांक—पी०बी०—23डी—6175 दस टायर के द्वक के कागजात, टोल टैक्स बैरियर मुरैना की रसीद जो द्वक में रखी हुई थी उसे जप्त कर प्र०पी०—12 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त करना बताया है। तथा यह भी कहा है कि द्वक में लदे दूध से संबंधित पारस फैक्ट्री के कागजात भी उसने प्राप्त करके डायरी में संलग्न किये थे जो प्रकरण में संलग्न हैं। इस तरह से प्र०पी०—12 का दस्तावेज अ०सा०—4, 5 एवं 12 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित हो जाता है जिससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि द्वक कमांक—पी०बी०—23 डी—6175 खाली अवस्था में आगरा से नौ किलोमीटर पहले धौलपुर की तरफ ए०बी० रोड़ से लावारिस अवस्था में जप्त किया गया था।
- प्र0पी0-12 के जप्ती पत्रक पर थाने पर हस्ताक्षर करना अ0सा0-4 व 5 के द्वारा बताया गया है। किन्तु उसके आधार पर प्र0पी0–12 को अप्रमाणित नहीं माना जा सकता है और उपर किये गये विश्लेषण मृताबिक तथा यशपाल अ०सा0—1 जो कि व्ही०आर०एस० फूड्स लिमिटेड का फैक्ट्री मैनेजर है, उसके अभिसाक्ष्य से इस बात की पुष्टि हुई है कि उक्त वाहन से ही मोगा पंजाब के लिये मालनपुर वायपास फैक्ट्री से दूध पाउडर के 800 बैग जिनका वजन करीब 20 टन बताया गया है, उन्हें उसने दिनांक 23.10.08 को शाम के समय माल भरकर रवाना किया था क्योंकि उसने पैरा–11 में यह भी स्पष्ट किया है कि उसके सामने ही द्रक में माल भरा गया था और उसने उसे सर्टिफाई भी किया था। तथा माल भरने संबंधी रिकॉर्ड और गेट पास होता है। वह पुलिस के मांगने पर इन्वॉइस भी देना बताता है जिसका खण्डन नहीं है। इन्वॉयस अवश्य साक्ष्य में पेश नहीं हुई किन्त् विवेचक आत्माराम शर्मा अ०सा०–12 ने अपने अभिसाक्ष्य में लदे दूध से संबंधित दस्तावेज भी मांगकर केसडायरी में शामिल करना बताया है जिसका भी खण्डन नहीं है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि प्र0पी0—12 के जप्ती पत्रक मुताबिक जो खाली द्रक कमांक-पी0बी0-23 डी-6175 आगरा से नौ किलोमीटर पहले धौलपुर तरफ ए०बी०रोड़ से जप्त हुआ था उसी में व्ही0आर0एस0 फूड लिमिटेड मालनपुर से मिल्क माउडर के 800 बैग भरकर पंजाब के लिये रवाना किये गये थे जिनकी लूट हुई। गुरू इकबाल अ०सा०–13 पन्द्रह सोलह हजार रूपये की भी लूट होना बताता है। और भद्रसेन अ0सा0-14 नोकिया मोबाईल और तीन हजार रूपये नगदी की बताता है जो प्रमाणित नहीं हुए हैं। प्र0पी0-19 में भी मोबाईल फोन और पन्द्रह हजार रूपये नगदी की लूट बताई गई है किन्तु उनके प्रमाणित न होने का भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है। जिनके संबंध में आगे जप्ती, मेमोरेण्डम की साक्ष्य का विवेचन किया

10

- 22. घटना के आहत एवं महत्वपूर्ण साक्षी भद्रसेन अ०सा०–14 जो कि व्ही०आर०एस० फूड्स लिमिटेड फैक्ट्री का कर्मचारी था उसने अपने अभिसाक्ष्य में लूट करने वालों में आरोपीगण के शामिल होने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि उसके साथ कारित घटना कारित करने वालों में हाजिर अदालत आरोपीगण नहीं थे और हाजिर अदालत आरोपीगण ने उसके साथ या द्रक के चालक और क्लीनर के साथ कोई घटना नहीं की थी। न पुलिस ने उससे आरोपियों की कोई शिनाख्ती कार्यवाही कराई थी। इस तरह से उक्त साक्षी विचाराधीन आरोपीगण के घटना में शामिल होने का समर्थन नहीं करता है। और वह मूल बिन्दु पर पक्ष विरोधी है। उसने केवल लूट की घटना की पुष्टि की है किन्तु लूट किसने की, इस बारे में उसके अभिसाक्ष्य में कोई भी तथ्य नहीं आये हैं। इसलिये लूट की बताई गई घटना में आरोपीगण की संलिप्तता अन्य साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकित करना होगा।
- 23. 🔥 दूसरे महत्वपूर्ण साक्षी गुरू इकबाल अ०सा०—13 ने अपने अभिसाक्ष्य में लूट करने वाले लोगों के बारे में पैरा–3 में न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को देखने के बाद यह बताया है कि आरोपी जीतू पुत्र शिवचरन, पवन पुत्र मुंशीसिंह, नरेश पुत्र सुल्तानसिंह के द्वारा उसके साथ घटना की गई थी। पप्पू उर्फ हावडा, महेश पुत्र रामसिंह और राजवीर पुत्र बाबूसिंह को देखकर उसने यह कहा है कि वह घटना में शामिल नहीं थे। जिन तीन लोगों को पहचाना उनके साथ अन्य अज्ञात आरोपीगण थे जिन्होंने उससे 15—16 हजार रूपये की भी लूटे थे। पैरा–4 में वह अपने साथ परघटसिंह के अलावा तीसरे व्यक्ति को पलविन्दर बताता है जबिक कथानक में भद्रसेन है। हालांकि वह भद्रसेन को नहीं पहचानता है इसलिये पैरा–4 से यही माना जा सकता है कि वह तीसरे व्यक्ति को भद्रसेन की जगह पलविन्दर कह रहा है क्योंकि फैक्ट्री के कर्मचारियों को पहले से नहीं जानता है। इसलिये नाम गलत बता देने से कोई अन्यथा निष्कर्ष प्राप्त नहीं होगा किन्तु यह अवश्य स्थापित होता है कि जब व्ही०आर०एस० फूड्स लिमिटेड मालनपुर का मिल्क पाउडर का माल लेकर द्रक क्रमांक-पी0बी0-23 डी-6175 को मोगा पंजाब के लिये ले जाने के लिये रवाना हुआ तब द्रक के साथ ड्रायवर गुरू इकबाल, क्लीनर परघटसिंह और फैक्ट्री के कर्मचारी भद्रसेन तीन लोग थे जिन्हें लूट की घटना में लूट करने वालों के द्वारा उपहतियाँ भी पहुंचाई गई थीं।
- 24. गुरू इकबाल अ०सा०—13 ने अपने अभिसाक्ष्य में लूट करने वाले बदमाशों की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के दरम्यान की बताते हुए उन्हें मुरैना धौलपुर तरफ की भाषा बोलना पैरा—5 में बताया है। और पैरा—7 में उत्तरप्रदेश की भाषा का प्रयोग आरोपीगण द्वारा करना कहा है। विचाराधीन आरोपीगण मुरैना और धौलपुर के ही निवासी हैं जो कि उनके गिरफ्तारी पत्रकों एवं धारा—313 दप्रसं के तहत दिये गये अभियुक्त परीक्षण के समय बताये गये स्थान से प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं दी गई है। झूंठा फंसाये जाने का आधार धारा 313 दप्रसं के अंतर्गत हुए अभियुक्त परीक्षण एवं अंतिम तर्कों में भी लिया गया है। किन्तु लिखित व मौखिक तर्कों में और साक्ष्य के दौरान ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है कि गुरू इकबाल से आरोपीगण की या जिन तीन लोगों की वह पहचान कर रहा है उनकी कोई पूर्व की रंजिश, बुराई भलाई या पहचान रही हो इसलिये रंजिशन झूंठा फंसाये जाने के लिये गये आधार में कोई विधिक बल

गुरू इकबाल अ0सा0–13 के द्वारा जो उम्र बताई गई है तथा विचाराधीन आरोपियों में से केवल पप्पू उर्फ हावड़ा को छोड़कर अन्य विचाराधीन आरोपीगण उसी उम्र वर्ग के हैं, यह एक सुसंगत तथ्य है और उसका खण्डन भी नहीं हुआ है। जहाँ तक प्र0पी0–19 की एफ0आई0आर0 में रिपोर्टकर्ता गुरू इकबाल के द्वारा रिपोर्ट लिखाते समय और पुलिस को कथन देते समय सामने आने पर बदमाशों को पहचान लेने की बात कही किन्तु पुलिस द्वारा शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं कराई गई। इस आधार पर संपूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है बल्कि सावधानी के नियम का पालन साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय करना होगा। उक्त अभिसाक्ष्य के आधार पर न्यायालय में की गई तीन आरोपीगण जीतू, पवन और नरेश की पहचान का खण्डन नहीं हुआ है। उसने पप्पू उर्फ हावड़ा, महेश और राजवीर पुत्र बाबू सिंह के संबंध में गिरफतारी, मेमोरेण्डम एवं जप्ती के संदर्भ में उनकी भूमिका के बारे में मूल्यांकन करना होगा कि वे घटना में शामिल थे या नहीं थे क्योंकि गुरू इकबाल खॉ के आधार पर उन्हें प्रकरण से निकाला जाता है तो फिर विधिक दृष्टि से वह उचित नहीं होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी भी साक्षी के हाथों में ही न्यायालय की बागडोर आ जावेगी और घटन रात के समय की बताई गई है। पैरा–6 में उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि अंधेरी रात थी इसलिये आरोपियों की पहचान कर पाना संभव नहीं था और बदमाश जब गाडी रोककर अंदर आये थे तब अंदर की लाईट बंद थी। बाहर की हैडलाईट जल रही थी। ऐसे में यदि जो लोग अंदर घुसे उन्हें न पहचान पाया हो, यह भी संभव है।

11

- 26. उक्त साक्षी गुरू इकबाल अ०सा०—13 पैरा—6 में यह भी कहता है कि एक दो साल बाद वह बातें भूल सकता है। उसे गाड़ी से नीचे भी खींचा गया था और मारपीट भी की गई थी। किसने खींचा, किसने मारपीट की, यह वह नहीं देख पाया। मुख्य परीक्षण के पैरा—1 में वह घटना में तीन चार लोगों का आना बताता है। संभवतः इसी आधार पर वह तीन की पहचान करता है और शेष तीन को पहचानने से और घटना में शामिल होने से इन्कार करता है।
- 27. गुरू इकबाल अ०सा०—13 के पैरा—6 में यह तथ्य भी आया है कि जिन लोगों ने मुंह बांधा हुआ था उन्हें वह नहीं पहचान सकता है। उसके हाथ पैर किसने बांधे, कौन पास में खड़ा रहा, यह भी वह नहीं पहचान पाया था। पैरा—7 में उसने जीतू, पवन और नरेश के बारे में भी यह कहा है कि उन्हें वह ठीक से नहीं पहचान पाया था क्योंकि घटना के समय अंधेरा था और वह उनतीनों से भी न्यायालय में साक्ष्य देने के दरम्यान नहीं मिलन उनके नाम जानता है। जिस रस्सी से उन्हें बांधा गया था वह आरोपीगण की ही थी। वह यह भी नहीं कह सकता है कि घटना पलविन्दर के द्वारा ही कराई गई हो। वह यह भी कहता है कि जब उसने रिपोर्ट की थी उस समय वह पूर्ण होश में नहीं था। आरोपियों में से एक को कुर्ता पाजाम व शेष को पेन्ट शर्ट पहने व बुलेरो गाडी सफेद रंग की एम०पी० पास लाखों हो सकती हैं, यह भी उसने कहा है। इस प्रकार से वह जिन तीनों की पहचान मुख्य परीक्षण के पैरा—3 में कर रहा था उस पर भी पैरा—7 मुताबिक स्थिर नहीं रहा है। ऐसे में उसका पहचान के संबंध में अस्थिरतापूर्ण अभिसाक्ष्य देने से उसके आधार पर भी ऐसा निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जीतू, पवन और नरेश घटना में शामिल रहे। पप्पू उर्फ हावड़ा, महेश व

- 28. प्रकरण में जिस माल की लूट हुई है तथा जिस द्रक को लूटा गया है, वह एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति में है क्योंकि जो मिल्क पाउडर व्ही०आर०एस० फुडस लिमिटेड मालनपुर का रवाना किया गया था और लूटा गया था उसके संबंध में अलग से पहचान की आवश्यकता नहीं रहती है और प्रकरण की परिस्थितियों में धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के तहत लिये गये मेमोरेण्डम कथन तथा उसके आधार पर यदि आरोपीगण या उनमें से किसी से बरामदगी की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्ति/आरोपी की घटना में संलिप्तता निर्धारित की जा सकती है। और बचाव पक्ष का यह लिखित तर्क कि पहचान न कराये जाने और प्रकरण में विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी रोजनामचासान्हा पेश न करने से मामला असत्य हो जाता है, स्वीकार योग्य नहीं है बल्कि संपूर्ण मामला मेमोरेण्डम एवं जप्ती पर आधारित है इसलिये उसके संबंध में अत्यंत सावधानी से मुल्यांकन करना होगा कि प्रकरण में आरोपीगण के धारा–27 साक्ष्य विधान के तहत मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–2 लगायत 5, एवं प्र0पी0–14 तथा जप्ती पत्रक प्र0पी0—6 लगायत 9 और प्र0पी0—12 तथा 15 हैं। प्र0पी0—12 की प्रमाणिकता उपर विश्लेषित की जा चुकी है। और उसके आधार पर द्रक आगरा से नौ किलोमीटर पहले धौलपुर ए०बी० रोड़ से खाली खड़ी अवस्था में जप्ती मय लोडेड किये गये माल और टोल टैक्स की मुरैना की रसीद सहित जप्त होना माना जा चुका है जिससे माल भरकर रवाना होना और मोगा पंजाब के लिये भेजे जाने की जो साक्ष्य अभिलेख पर आई है, उसकी पृष्टि होती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत विश्रामसिंह एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2011 भाग-2 एम0पी0जे0आर0 पेज-155 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ रिपोर्ट अज्ञात में हो और पुलिस द्वारा कोई शिनाख्ती परेड न कराई गई हो वहाँ न्यायालय में कटघरे में की गई पहचान विश्वसनीय नहीं होगी और इस बिन्दु पर दोषसिद्धि आधारित नहीं की जा सकती है।
- प्रकरण में परीक्षत सिंह अ०सा०-2 एवं प्रहलाद अ०सा०-3 के द्वारा 29. न्यायालयीन अभिसाक्ष्यमें अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और दोनों ही पक्ष विरोधी रहे हैं जो इस बिन्द् के साक्षी थे कि उन्होंने द्रक को भरी हुई अवस्था में देखा था और वे मुरैना जाने के लिये नूराबाद पर खड़े थे। तथा उन्होंने द्रक को आरोपी जीतू कुशवाह के द्वारा चलाते हुए देखा जाना और उसमें राजवीर, नरेश भी तीन लोगों को दबाये हुए बैठे देखना तथा उनके पीछे एक सफेद रंग की बुलेरो गाडी जिसे आरोपी पवनगुर्जर चला रहा था। और महेश, राजेन्द्र व रामाधार व पप्पू उर्फ हावड़ा उसमें बैठे थे, उन्हें देखे जाने से इन्कार किया है। उक्त व्यक्तियों को पूर्व से जानने से भी इन्कार किया है तथा परीक्षत ने प्र0पी0–10 और प्रहलाद ने प्र0पी0–11 का पुलिस को कथन देने से भी इन्कार किया है। इस तरह से रास्ते में नूराबाद पर लूटा गया द्रक आरोपीगण द्वारा ले जाया जाना, पीछे से बुलेरो गांडी में भी कुछ आरोपियों का जाना देखने संबंधी बिन्द् के दोनों ही साक्षी अभियोजन का समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे में प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव हो जाता है। किन्तु लूट डकैती जैसी घटना के लिये हर परिस्थिति में प्रत्यक्ष साक्ष्य से अपराध के प्रमाणन की अनिवार्यता नहीं है। दोनों ही साक्षी तहसील मनिया जिला धौलपुर राजस्थान के ग्राम गोसपुरा के हैं और

आरोपीगण में से भी कुछ आरोपी मिनया तहसील के अंतर्गत आने वाले गांवों के निवासीगण हैं। ऐसे में उक्त दोनों साक्षियों के पक्ष विरोधी होने से भी संपूर्ण साक्ष्य अग्राह्य नहीं की जा सकती है। यह अवश्य है कि जो साक्ष्य है उसका मूल्यांकन सूक्ष्मता से करना आवश्यक हो जाता है।

- 30. रायसिंह राणा अ०सा०-7 जो कि आरोपी पप्पू उर्फ हावडा के मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–14 का पंच साक्षी है, उसने अपनी अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि उसे यह ध्यान नहीं है कि आरोपी पप्पू उर्फ हावड़ा ने उसके सामने पुलिस को मेमोरेण्डम कथन देते हुए दूध के पाउडरों के कट्टे और पच्चीस हजार रूपये की लूट में से पच्चीस हजार रूपये घर के बक्से में रखना और बरामद कराना बताया या नहीं बताया था। किसी अन्य आरोपी के नाम बताये थे या नहीं बताये थे। यह भी उसे याद न होना कहता है। दूध के कट्टों का बंटवारा होने से वह इन्कार करते हुए यह कहता है कि काफी दिन हो गये हैं इसलिये उसे याद नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्ष विरोधी भी घोषित किया गया है और उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य में अवश्य सुदृढ़ स्थिति नहीं है क्योंकि उसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में याद नहीं है। हालांकि वह प्र0पी0—13 के मेमोरेण्डम कथन पर एसेए भाग पर अपनेहस्ताक्षर होना अवश्य स्वीकार करता है। लेकिन वह इस बात से इन्कार नहीं कर रहा है कि उसके सामने पुलिस द्वारा पप्पू उर्फ हावड़ा से पूछताछ ही नहीं हुई अर्थात् पूछताछ होना तो वह प्रकट कर रहा है किन्तु आरोपी द्वारा क्या जानकारी दी गई इस बारे में याद न होना बता रहा है। अतः उक्त साक्षी के पक्ष विरोधी होने का भी अभियोजन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उसका न्यायालयीन अभिसाक्ष्य करीब सात साल बाद हुआ है।
- 31. अन्य परीक्षित साक्षियों में से प्र0आर0 रामअवतार बोहरे अ0सा0–8 और ए ०एस०आई० परमालसिंह अ०सा०–९ ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 30.12..08 को थाना सरायछोला जिला मुरैना में वह पदस्थ था। और उन्होंने थाने में पूर्व से जप्त गाडी जिसका रजिस्द्रेशन नंबर–एम0पी0–07 टी०सी०—0397 था, उसे मालनपुर के अप०क०—133/08 में प्र0आर0 मैथिलीशरण गुप्ता के द्वारा थाना सरायछोला से जप्त किया ग्या था। जो गाडी थाना सरायछोला में धारा–102 सीआरपीसी के अंतर्गत दिनांक 12.11.08 से जप्त होकर रखी हुई थी। जो कि आरोपी जितेन्द्र के कब्जे से जप्त होना वह दोनों साक्षी कहते हैं। किन्त् उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनके सामने आरोपी जितेन्द्र के कब्जे से गाडी जप्त नहीं हुई थं। प्र0पी0–15 के जप्ती पत्रक की लिखापढी थाने पर की गई थी और अ0सा0–9 ने यह भी कहा है कि वाहन के संबंध में उसे यह बात कि गाडी आरोपी जितेन्द्र के कब्जे से जप्त करके लाये हैं, दरोगा हितेन्द्र राठौर ने बताई थी। इस तरह से प्र0पी0—15 के जप्ती पत्रक का समर्थन तो उक्त दोनों साक्षी करते हैं और प्र0पी0–15 के मुताबिक थाना सरायछोला मुरैना से विचाराधीन मामले में उक्त गाडी औपचारिक रूप से जप्त की गई है। प्र0पी0—15 के जप्ती पत्रक में बुलेरो जीप का उल्लेख है जबकि प्र0पी0—19 की एफआईआर में मार्शल गाडी बताई गई थी। हालांकि एफआईआर में पूरा रजिस्द्रेशन नहीं बताया गया है। क्योंकि फरियादी ने केवल एम0पी0-07 ही देख पाया था। प्रकरण में ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि संदिग्ध अवस्था में प्र0पी0–15 मुताबिक

जो वाहन बरामद होना बताया गया है वह आरोपी जितेन्द उर्फ जीतू के कब्जे से थाना सरायछोला पुलिस द्वारा जप्त किया गया था। न ही उससे संबंधित सरायछोला थाने के इस्तगासा कमांक—6/08 धारा—102 सीआरपीसी दिनांक 12.11.08 का दस्तावेज प्रकरण में पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बुलेरो वाहन की जप्ती का प्रकरण में कोई सरोकार परिलक्षित नहीं होता है। और अ0सा0—8 व 9 दोनों ही औपचारिक स्वरूप के साक्षी हो जाते हैं तथा उनके अभिसाक्ष्य से कोई कड़ी जुड़ना परिलक्षित नहीं होती है।

- 32. प्र0आर0 प्रेमिसंह 30सा0—10 के द्वारा इस आशय की अभिसाक्ष्य दी गई है कि दिनांक 19.02.09 को थाना मालनपुर में वह पदस्थ था। तब उसके समाने अप0क0—133 / 08 में उपनिरीक्षक आर0सी0 पाठक के द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ हावड़ा से पूछताछ की गई थी जिसका प्र0पी0—4 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया था तथा उसके आधार पर आरोपी पप्पू उर्फ हावड़ा के मकान की तलाशी से संबंधित प्र0पी0—16 का पंचनामा भी बनाया गया था। पैरा—2 में उसने यह स्वीकार किया है कि तलाशी में कोई सामान जप्त नहीं हुआ था। प्र0पी0—14 के संबंध में 30सा0—7 की साक्ष्य का उपर मूल्यांकन किया जा चुका है। और प्र0पी0—14 के संबंध में प्र0पी0—14 एवं 16 की कार्यवाहीकर्ता उपनिरीक्षक आर0सी0 पाठक को प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। प्र0पी0—16 मुताबिक तलाशी में कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्र0पी0—14 का धारा—27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम कथन अ0सा0—7 व 10 की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। पप्पू उर्फ हावड़ा ने कोई जानकारी दी थी इस संबंध में उपनिरीक्षक आर0सी0 पाठक का परीक्षित कराया जाना आवश्यक था।
- 33. धारा—27 साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक— अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी— परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ऐतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।
- 34. साक्ष्य विधान की धारा-27 के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं:-
 - 1. सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
 - 2. उसका पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिए।
 - उस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए।
 - 4. पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।
 - चाहे वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं।
- 35. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत लक्ष्मीनारायण विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० 2009 भाग-1 एम०पी०एच०टी० पेज-478 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि एक व्यक्ति की सूचना के मेमोरेण्डम में किसी अन्य व्यक्ति के नाम का उल्लेख भी आया हो तो उस दूसरे व्यक्ति को उसके आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। जब तक कि उसके विरुद्ध अन्य विश्वसनीय साक्ष्य न हो। उक्त न्याय दृष्टांत विचाराधीन

मामले में इस कारण प्रायोज्य किये जाने योग्य है क्योंकि अभिलेख पर आरोपी पण् उर्फ हावड़ा एवं पवन के विरूद्ध अन्य कोई साक्ष्य, तथ्य परिस्थितियाँ नहीं आई हैं जो उसे घटना में संलिप्त मानने के लिये पर्याप्त हों। ऐसे में एक सह अभियुक्त के द्वारा धारा—27 के ज्ञापन में उसका नाम बता दिये जाने के आधार पर उसे घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है और धारा—133 साक्ष्य अधिनियम का उपबंध भी लागू नहीं होता है। जैसा कि विशेष लोक अभियोजक का तर्क है क्योंकि धारा—133 साक्ष्य अधिनियम में सह अपराधी के द्वारा अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध सक्षम साक्षी होने का उपबंध किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि सह अपराधी— सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिये अवैध नहीं है किवह किसी सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

15

36. प्रकरण में जप्ती, गिरफतारी, मेमोरेण्डम संबंधी कार्यवाही के लिये जिसके आधार पर आरोपीगण को प्रकरण में अभियोजित किया गया है. क्योंकि रिपोर्ट अज्ञात में थी उससे संबंधित दस्तावेज प्र0पी0—1 लगायत 9 और प्र0पी0—21 तथा उससे संबंधित अभियोजन साक्षियों का और मूल्यांकन किया जाना है कि क्या शेष साक्ष्य से उक्त दस्तावेज युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होते हैं और क्या विचाराधीन आरोपीगण की उपर वर्णित लूट की घटना में हितबद्धता संदेह से परे प्रमाणित होती है या नहीं जिसके संबंध में अभिलेख पर यशपालसिंह अ०सा०–1 एवं घटना के विवेचक आत्माराम शर्मा अ०सा०–12 का अभिसाक्ष्य है और उनके बारे में यह भी मुल्यांकित करना होगा कि क्या उनकी साक्ष्य उक्त दस्तावेजों के प्रमाणन हेत् सुदृढ़ व पर्याप्त विधिक रूप से है या नहीं? जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका है कि धारा–27 साक्ष्य विधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिन्द् उपरोक्त वर्णित 5 हैं। प्रकरण में आरोपी महेश का गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0—1, और पप्पू उर्फ हावडा का गिरफतारी पत्रक प्र0पी0—21 के अलावा अन्य अभियुक्तगणों के गिरफतारी पत्रक साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुए हैं। धारा–27 साक्ष्य अधिनियम के तहत जो पांच महत्वपूर्ण अंग बतलाये गये हैं उसके प्रथम अंग में किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति होना, द्वितीय अंग में उसका पुलिस अभिरक्षा में होना बताया गया है किन्त् माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ यू०पी० विरुद्ध देऊमन उपाध्याय ए** oआईoआरo 1960 सुप्रीमकोर्ट पेज-198 में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रावधान के तहत सूचना देते समय संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कोई औपचारिक अभियोग हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिये प्र0पी0–2 लगायत 5 के मेमोरेण्डम कथन के समय आरोपी नरेश, महेश, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन, एवं राजवीर के विरुद्ध अभियोग दर्ज होने की अनिवार्यता नहीं है। न ही उनकी औपचारिक रूप से गिरफतारी को आवश्यक बताया गया है। क्योंकि उक्त प्रावधान के संदर्भ में उक्त न्याय दृष्टांत में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ अभिरक्षा से तात्पर्य भौतिक अभिरक्षा स नहीं है इसलिये कोई औपचारिक गिरफ़्तारी आवश्यक नहीं है। अनुसंधान अधिकारी के समक्ष कोई व्यक्ति जाता है और उससे सुसंगत तथ्यों का पता चलता है तो उक्त प्रावधान के क्रम में वह अभिरक्षा में माना जावेगा। इसलिये प्रकरण में आरोपी नरेश, महेश, जीत् उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन, राजवीर पुत्र बाबूसिंह के गिरफ्तारी पत्रक साक्ष्य में पेश न होने का प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है बल्कि उनके संबंध में यह विश्लेषित किया जाना है कि क्या उनके द्वारा प्र0पी0—2 लगायत 5 के मेमोरेण्डम कथन उचित रीति से लिये गये और उनके द्वारा दिये गये या नहीं और उसके आधार पर प्राप्त जानकारी के तहत प्र0पी0—6 लगायत 9 द्वारा जप्ती की कार्यवाही हुई या नहीं हुई।

- 37. धारा—27 साक्ष्य विधान के तृतीय अंग के रूप में दी गई जानकारी में सुसंगत तथ्य का पता चलना चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरूद्ध दामो गोपीनाथ शिन्दे ए 0आई0आर0 2000 एस0सी0 पेज—1651 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रावधान मूल रूप से पश्चातवर्तीय घटना द्वारा पुष्टिकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यदि किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है तो यह सूचना के सत्य होने की गारंटी होती है क्योंकि जिस स्थान से वस्तु की बरामदगी होती है उसका ज्ञान अभियुक्त को ही होता है। ऐसा उपधारित होगा। न्याय दृष्टांत सलीम अख्तर विरूद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0(2003) 5 एस0सी0सी0 499 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रावधान के अंतर्गत दिये जाने वाले कथन का उतना भाग ही साक्ष्य में ग्राह्य योग्य होगा जिससे किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है।
- 38. 📣 विचाराधीन मामले में आरोपी नरेश के मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–2, महेश के प्र0पी0—3, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन के प्र0पी0—4 एवं राजवीर के प्र0पी0-5 में इस आशय की जानकारी का संकलन होना बताया गया कि उन्होंने टक के माल में से 52 कट्टे मिल्क पाउडर के पिपरई के रामवीर गुर्जर को दे दिये थे। शेष को लेकर वे ग्राम छपरौली में पह्ंचे थे जहाँ उन्होंने हिस्सा बांट किया था। और नरेश, जीतू उर्फ जितेन्द्र, व राजवीर के हिस्से में दो दो सौ कट्टे मिल्क पाउडर तथा महेश के हिस्से में 148 मिल्क पाउडर के कट्टे, पवन को मोबाईल और कट्टा, एक मोबाईल रामवीर गुर्जर को तथा पप्पू उर्फ हावडा को नगदी रूपये मिले थे। तथा पप्पू उर्फ हावड़ा के घर के सामने खेत में करब के पुंज के अंदर मिल्क पाउडर के कट्टों को छुपाकर रखा। यह प्रकरण के लिये सुसंगत तथ्य है क्योंकि भले ही खेत खुला स्थान होता है जहाँ आम आदमी की पहुंच होती है। किन्तु यह तथ्य कि करब के पुंजों के अंदर मिल्क पाउडर के कट्टे रखे गये थे, इसकी जानकारी तो केवल सूचना देने वाले को ही होना संभव है जब तक कि सूचना देने वाला व्यक्ति यह नहीं बताता है कि उक्त जानकारी का स्त्रोत उसके पास क्या है। तब तक जानकारी का स्त्रोत वह स्वयं होना उपधारित होगा जैसाकि न्याय दृष्टांत पुन्नू स्वामी विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडू (2008) वॉल्यूम-5 एस०सी०सी० पेज-587 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। तथा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरूद्ध सुरेश 1 एस0सी0सी0 पेज-471 में भी इसी तरह की उपधारणा के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है इसलिये सूचना के कथन और उसके आधार पर प्रमाणिकता की कडी अभियोजन की साक्ष्य से संभावित है, या नहीं, यह मूल रूप से देखा जाना है। क्योंकि मेमोरेण्डम एवं जप्ती के प्रपत्र अपने आप में साक्ष्य नहीं होते हैं जब तक कि उनके तथ्यों को प्रमाणित न कराया जावे। जैसाकि न्याय दृष्टांत श्रवण विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2006 (2) ए0एन0जे0 एम0पी0 **पेज-235** में कहा गया है।
- 39. प्रकरण में परीक्षित साक्षी यशपालसिंह अ०सा०–1 के पैरा–6 में यह

बताया गया है कि उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया गया था। प्र0पी0—1 के गिरफ्तारी पत्रक पर उसने ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर तो बताये हैं किन्तु यह कहा है कि गिरफ्तारी से संबंधित कागजात पुलिस ने उसके सामने तैयार किये थे। कुछ आरोपी बैठे थे ऐसे में प्र0पी0—1 के गिरफ्तारी पत्रक की पुष्टि उक्त साक्षी ने नहीं की है। हालांकि उसके संबंध में विवेचक आत्माराम शर्मा अ0सा0—12 पैरा—3 में महेश की गिरफ्तारी प्र0पी0—1 पर करना अवश्य बताता है किन्तु गिरफ्तारी पत्रक इस बिन्दु पर गौण दस्तावेज है इसलिये उसके प्रमाणित होने या न होने का कोई भी प्रभाव किसी भी पक्ष पर नहीं होगा। इसलिये उसके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। मूलतः प्र0पी0—2 लगायत 5 के बारे में ही विधिक स्थिति को देखा जाना है।

- प्र0पी0-2 लगायत 9 की कार्यवाही दिनांक 20.11.08 की बताई गई है 40. जिसमें धारा–27 साक्ष्य विधान के तहत लिपिबद्ध मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–2 लगायत 5 की कार्यवाही सुबह 8.10 बजे से 8.45 बजे एवं दोपहर 1.30 बजे की बताई गई है। प्र0पी0–6 लगायत 9 की जप्ती की कार्यवाही के बाबत 1.50 बजे से लेकर 3.30 बजे के दरम्यान की बताई गई है जिसके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें यशपालसिंह अ०सा०–1 ने अने अभिसाक्ष्य के पैरा–7 में आरोपी महेश, नरेश, जीतू व राजवीर के द्वारा मेमोरेण्डम कथन देना और उनके पिलस द्वारा प्र0पी0–2 लगायत 5 के मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करना पैरा–8 में बताया है जिसमें विधिक रूप से जो ग्राहय योग्य तथ्य हैं, उसमें 'माल में से 52 बैग मिल्क पाउडर के रास्ते में उतार दिया जाना, शेष मिल्क पाउडर के बैग चपरौली गांव में पप्पू के मकान के आसपास ज्वार बाजरा के पूंज (ढेर) में छुपाकर रखना और बरामद कराना' कहा है जिसके संबंध में प्रतिपरीक्षण में जो सुझाव दिये गये उसके अनुक्रम में पैरा–13 में साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेमोरण्डम कथन सुबह करीब 9.10 बजे थाने में दिये गये थे। जो कि प्र0पी0–2 लगायत 5 में दर्शाये गये समय से मिलती–जुलती समयावधि है और उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे उसके सामने पूछताछ होने की बात काल्पनिक या असत्य प्रतीत होती हो क्योंकि साक्षी ने यह स्पष्ट कहा है कि उसके सामने पूछताछ की गई थी। 🧥
- 41. विवेचक आत्माराम शर्मा अ०सा०—12 ने प्र०पी०—2 लगायत 5 के संबंध में पैरा—3 में साक्ष्य दी है और यह कहा है कि आरोपियों के बताये अनुसार ही मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये गये थे। विवेचक को इस आशय का कोई सुझाव नहीं दिया गया कि साक्षी यशपाल के सामने पूछताछ हुई या नहीं हुई इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि मेमोरेण्डम कथन के दस्तावेज प्र०पी०—2 लगायत 5 आरोपीगण को झूंढा फंसाये जाने के लिये थाने पर बैठकर फरियादी से मिलकर पुलिस द्वारा तैयार किये गये क्योंकि प्रकरण में न तो ऐसा आधार लिया गया है न ही ऐसी कोई साक्ष्य है जिससे यह पता चलता हो कि आरोपीगण की पुलिस या फरियादी यशपाल से किसी भी तरह की कोई बुराई या भलाई थी। इसलिये यशपाल अ०सा०—1 की साक्ष्य स्वतंत्र पंच साक्षी की जानी जावेगी। उसे इस आधार पर हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता है कि वह व्ही०आर०एस० फूड्स लिमिटेड का फैक्ट्री मैनेजर था। यदि उसे हितबद्ध मान भी लिया जावे तब भी कार्यवाही उसके समक्ष की बताई गई है। और उसका खण्डन नही हुआ है। इसलिये उसकी बात पर विश्वास किया जा सकता है और जो

समय वह मेमोरेण्डम कथन की कार्यवाही में बता रहा है, उसकी भी उसने पुष्टि की है। तथा विवेचना के बारे में भी यह स्पष्ट विधिक स्थिति है कि पुलिस साक्षी को भी अन्य सामान्य साक्षियों की भांति साक्ष्य में लिया जाना चाहिए। ऐसी कोई विधि या नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मी या अधिकारी की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किय जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत गिरजाप्रसाद विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 ए0आई0आर0 2007 एस0सी0 पेज-3106 में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है।

- प्रकरण में विवेचक आत्माराम शर्मा अ०सा०–12 के अभिसाक्ष्य पर इस 42. आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि प्रकरण में उसके द्वारा मेमोरेण्डम व जप्ती से संबंधित कार्यवाही का कोई रोजनामचासान्हा पेश नहीं किया गया है क्योंकि उक्त विवेचक ने पैरा-6 में यह कहा है कि ग्राम चपरौली में जब वह पुलिस बल को साथ लेकर गया था तो जाने का और लौटने का इन्द्राज रोजनामचा में उसने किया था। हालांकि वह प्रकरण में पेश नहीं है किन्त बचाव पक्ष की ओर से रोजनामचासान्हा प्रस्त्त कराये जाने के लिये नही कोई प्रार्थना न्यायालय से की गई न ही साक्षी के कथन को स्थिगित किये जाने का निवेदन किया गया। इसलिये लिखित अंतिम तर्कों में रोजनामचासान्हा की प्रस्तुति के अभाव में आरोपीगण को संदेह का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अ०सा०—1 व 12 के अभिसाक्ष्य से प्र०पी०—2 लगायत 5 के मेमोरेण्डम कथनों की कार्यवाही विधिक रीति से की जाना उपधारित होगा जिसके आधार पर प्र0पी0-2 लगायत 5 में आरोपियों के द्वारा बताया गया वह स्थान कि पप्पू उर्फ हावडा के घर के सामने खेत में करब के पुंज में मिल्क पाउडर के बैगों को छुपाकर रखा गया, यह ससंगत तथ्य उक्त साक्ष्य से प्रमाणित माना जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रामिकशन मीठालाल शर्मा विरुद्ध स्टेट ऑफ बॉम्बे ए0आई0आर0 1955 एस0सी0 पेज-104 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 27 साक्ष्य विधान के तहत पुलिस अभिरक्षा में दी गई सूचना जिससे किसी सुसंगत तथ्य का पता लगता है वह साबित की जा सकती है। चाहे वह अस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं और ऐसी सूचना के सत्य होने की होगी तथा उसे सुरक्षित रूप से सक्ष्य में ग्राह्य किया जा सकता है। इस मामले में खेत में रखे पुंजों के भीतर माल को छुपाकर रखे जाने संबंधी तथ्य सूचना के सत्य होने की गारंटी को इंगित करता है।
- 43. जहाँ जप्ती का प्रश्न है, जप्ती प्र0पी0—6 व 9 के द्वारा होना बताई गई है और उसके संबंध में यथपालिसंह अ0सा0—1 के द्वारा यह स्पष्ट साक्ष्य दी गई है कि जप्ती की कार्यवाही उसके सामने हुई थी। वह पुलिस के साथ ग्राम चपरौली गया था। वहाँ पर बाजरा के पुंज खुली जगह में लगे थे और बाजरा के पुंज घर के पास स्थित खेत में लगे थे। तथा जप्ती की कार्यवाही दिनांक 20.11.08 को ही दोपहर के दो तीन बजे के दरम्यान हुई थी जैसािक उसने पैरा—12 में कहा है और उसकी पुष्टि प्र0पी0—6 लगायत 9 के दस्तावेजों में उल्लेखित समय से होती है। जिसमें जप्ती की कार्यवाही चपरौली गांव में पप्पू उर्फ हावड़ा के मकान के सामने खेत में बाजरा के पुंजों में होना बतलाई गई है। जो दोपहर 1.50 बजे से लेकर 3.10 बजे क दरम्यान की है। पैरा—12 में बतलाई बातें अ0सा0—1 के प्रतिपरीक्षण के दौरान आई हैं और उनका खण्डन नहीं है। जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि जप्ती की कार्यवाही के समय भी उक्त साक्षी यशपालिसंह

पुलिस के साथ ग्राम चपरौली जप्ती वाले स्थान पर गया था। यह अपने आप में सुसंगत होकर प्रकरण की कड़ी के रूप में जुड़ता है।

- यशपालसिंह अ०सा०–1 के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस आरोपी से कितनी मात्रा में बरामदगी हुई जिसके संबंध में उसने पैरा–9 में यह स्पष्ट किया है कि चारौ आरोपी नरेश, महेश, जीतू उर्फ जितेन्द्र व राजवीर से उनकी फैक्ट्री का मिल्क पाउडर पुलिस ने ग्राम चपरौली के पप्पू के घर के आसपास पुंजों में से कुल 748 बैग जप्त किये थे जिनमें महेश के कब्जे से 148, और शेष तीनों आरोपी नरेश, जीतू व राजवीर के कब्जे से दो दो सौ बैग जप्त हुए थे। नरेश का जप्ती पत्रक प्र0पी0–6, महेश का जप्ती पत्रक प्र0पी0–7, राजवीरसिंह का जप्ती पत्रक प्र0पी0–8 और जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन का जप्ती पत्रक प्र0पी0–9 दिनांक 20.11.08 को ही पुलिस द्वारा तैयार किये गये थे। जिन पर ए से ए भागों पर अपने हस्ताक्षर होना भी वह कहता है। जैसा कि पैरा–10 में स्पष्ट आया है। पुलिस के साथ जाने की बात पैरा–12 में आई है जिससे पृष्टि होती है। उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि जप्ती की कार्यवाही के समय 8–10 लोग गांव के भी मौजूद थे। पैरा–14 में उपरोक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि मालनपुर से ग्राम चपरौली सौ सवा सौ किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन उसने अपनी गाडी से चपरौली गांव जाना बताया है और संचालक होने से उसकी जानकारी में चोरियॉ होती रहती हैं और झूंठे अपराध दर्ज कराते रहे हैं।
- 45. प्र0पी0—6 लगायत 9 मुताबिक जप्ती की कार्यवाही करने वाले विवेचक आत्माराम शर्मा अ0सा0–12 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा–3 एवं 4 में बताया है और यह स्पष्ट कहा है कि उसने आरोपी नरेश के बताये अनुसार पप्पू उर्फ हावड़ा के घर के सामने बाजरा के पुंज से 200 कट्टे जिनके अंदर 25—25 किलो मिल्क पाउडर भरा था, उसे प्र0पी0–6 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किया गया था। इसी प्रकार आरोपी महेश सिंह के बताये अनुसार 148 कट्टा मिल्क पाउडर प्र0पी0—7 मुताबिक जप्त किये थे। जीतू उर्फ जितेन्द्र के बताये अनुसार प्र0पी0—9 मुताबिक २०० कट्टे जप्त किये गये थे। उक्त विवेचक की अभिसाक्ष्य में प्र०पी०–८ का उल्लेख होने से रह गया है। जिसके बारे में अ०सा0–1 ने पुष्टि की है। दस्तावेज प्रदर्शित है जो प्र0पी0–5 के मेमोरेण्डम की जानकारी के आधार पर बनाया गया था। और राजवीर से भी 200 कट्टा मिल्क पाउडर के प्र0पी0–8 मुताबिक जप्त होना बताये गये हैं। इसलिये जप्ती की पृष्टि और समयावधि भी सूसंगत साक्ष्य से प्रमाणित है। यशपाल के अलावा गांव के किसी व्यक्ति को जप्ती का साक्षी न बनाये जाने के संबंध में अ०सा0–12 के पैरा–6 में स्थिति स्पष्ट की गई है जिसमें विवेचक ने यह तो माना है कि जप्ती की कार्यवाही के समय स्वतंत्र साक्षी भी थे किन्तु उसने यह कहा है कि वे अलग थे उन्होंने बुराई भलाई के कारण सहयोग नहीं किया था। जो कि एक कट् सत्य भी है क्योंकि आम तौर पर कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति किसी भी मामले में पडना नहीं चाहता है। यह बिन्दु न्यायालय अपने अवलोकन में ले सकता है जैसी कि वर्तमान सामाजिक स्थिति है इसलिये जिस ग्राम चपरौली से जप्ती की कार्यवाही हुई उसका किसी व्यक्ति द्वारा समर्थन न करना घटना को संदिग्ध नहीं बनाता है। न ही उसके आधार पर प्र0पी0-6 लगायत 9 को अप्रमाणित माना जा सकता है।
- 46. जहाँ तक यह बिन्दु उत्पन्न हुआ है कि किस स्थान से बरामदगी बताई

गई है, उसके स्वामित्व के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वह खेत किसका था। पुंज किसके थे, यह तर्क विधिक रूपसे ग्राह्य योग्य नहीं है। क्योंकि अभियोजन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह जिस स्थान से बरामदगी करे उसके स्वामित्व को प्रमाणित करे। इस संबंध में न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध सिराज अहमद (2007) 5 एस0सी0सी0 पेज—161 में दिया गया मार्गदर्शन अवलोकनीय है।

- 47. बचाव पक्ष की ओर से लिखित व मौखिक तर्कों में यह बिन्दु उठाया गया है कि मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही में निष्पक्ष व्यक्ति की साक्ष्य नहीं ली गई है न ही समर्थन किया गया है। खुले स्थान से बरामदगी बताई गई है और एफ0आई0आर0 अज्ञात में है इसलिये आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन की कहानी झूंठी हो जाती है और विश्वसनीय नहीं रहती है। इसलिये आरोपीगण को दोषमुक्त किया जावे। जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अपने तर्कों में इस आधार पर विरोध किया गया है कि यशपाल सिंह अ0सा0–1 निष्पक्ष व्यक्ति ही है जिसने पुष्टि की है और लूट डकैती जैसे मामलों में अपराधी खतरनाक किरम के होते हैं। उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य देने की हिम्मत नहीं रखता है इसलिये जिस स्थान से जप्ती हुई, वहाँ के स्थानीय निवासियों की साक्ष्य न लेने का कोई प्रभाव नहीं होगा। और जो साक्ष्य अभिलेख पर आई है उस पर विश्वास किया जावे और दोषसिद्धि की जावे क्योंकि एकल साक्ष्य पर भी दोषसिद्धि किये जाने में कोई विधिक बाध नहीं है।
- 48. स्वतंत्र और निष्पक्ष साक्षियों के संबंध में उपर भी उल्लेखित किया जा चुका है। बचाव पक्ष का तर्क दप्रसं के धारा–100 के संदर्भ में है और उसी संदर्भ में यशपाल को प्राथमिक तौर पर निष्पक्ष व्यक्ति माना गया है क्योंकि उसकी आरोपीगण से कोई बुराई भलाई या रंजिश नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर के आधार पर यदि उसकी हितबद्धता निर्धारित कर दी जावे तब भी दप्रसं की धारा—100(4 एवं 5) के उपबंध प्रकरण में बाधक नहीं होंगे। क्योंकि धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत दी गई सूचना के आधार पर यदि बरामदंगी अन्यथा विश्वसनीय होती है तो दप्रसं की धारा— 100(5 एवं 5) की पालना न होने से उसका साक्ष्यिक मूल्य कम नहीं होगा। जैसा कि न्याय दृष्टांत मुशीरखान उर्फ बादशाहखान विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 (2010) 2 एस0सी0सी0 **पेज-748** में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है। और न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ** एन0सी0टी0 देहली विरूद्ध सुनील (2001) एस0सी0सी0 पेज-652 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि केवल स्वतंत्र साक्षियों का अनुसंधान अधिकारी के साथ न होना उसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का आधार नहीं हो सकता है और सामान्यतः अभियुक्त की सूचना पर हुई बरामदगी पर विश्वास किया जाना चाहिए। उक्त न्याय दृष्टांत में सक्ष्य विधान की धारा–27 और दप्रसं की धारा–100 की व्याख्या करते हुए दोनों के क्षेत्र अलग–अलग ही निर्धारित किये गये हैं।
- 49. प्र0पी0-6 व 9 के द्वारा जो मिल्क पाउडर के भरे हुए कट्टे उक्त चारौ आरोपीगण नरेश, महेश, राजवीर व जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन से जप्त होना बताये हैं उनमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जप्त किये गये मिल्क पाउडर के कट्टों पर पारस प्रीमियम आई०एस० 13334-आई०एस०आई०-एम०पी० पी०ओ०-आर०सी० नंबर-3301 आर-एम.एम.पी.ओ. 2005 लिखा था। और बैच

नंबर व्ही0आर0एस0 फूड लिमिटेड का उल्लेख भी था। इसके संबंध में कोई अन्यथा तथ्य अ0सा0—1 व 12 के अभिसाक्ष्य में नहीं आये हैं तथा उक्त मिल्क पाउडर ऐसी वस्तु नहीं है जो आम तौर पर खुले बाजार में उपलब्ध होता हो। इसलिये भी जप्ती पत्र प्र0पी0—2 लगायत 5 के मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर जप्ती होना अभियोजन के मामले को पुष्टि करती है जिसके संबंध में अ0सा0—1 व 12 की साक्ष्य उचित व सुदृढ़ होकर विश्वसनीय पाई जाती है।

- इस प्रकार से अभिलेख पर अ०सा०–1 व 12 की अभिसाक्ष्य से प्र०पी०–2 50. लगायत ९ की कार्यवाही प्रमाणित होती है और आरोपी नरेश पुत्र सुल्तानसिंह, महेश पुत्र रायसिंह, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन एवं राजवीर पुत्र बाबूसिंह की ओर से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उक्त जप्तशुदा माल उनके कब्जे का नहीं है तो फिर जिस स्थान से बरामदगी हुई उसकी जानकारी उन्हें कैसे हुई क्योंकि उन्होंने किसी अन्य से जानकारी मिलने का आधार नहीं लिया है न ही अन्य के द्वारा छुपाया गया है। इसलिये न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध सुरेश के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार यही उपधारणा बनेगी कि माल उनके द्वारा छुपाया गया था इसलिये उनकी विचाराधीन मामले में और विरचित आरोपों के संदर्भ में घटना मे संलिप्तता स्पष्ट रूप से स्थापित व प्रमाणित होती है अतः उक्त चारौ आरोपीगण नरेश पुत्र सुल्तानसिंह, महेश पुत्र रायसिंह, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन एवं राजवीर पुत्र बाबूसिंह के विरूद्ध अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है कि उनके द्वारा ही दिनांक 23.10.08 की रात 8.30 बजे बी0आर0एस0 फूड्स लिमिटेड के 100 मीटर पहले आम रोड तिराहे के पास औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर थाना मालनुपर के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने सह आरोपियों के साथ एक राय होकर अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में परिवादी गुरूइकबालसिंह से दूध पावडर के 800 बैग वजनी करीब 20 टन सहित द्रक क्रमांक-पी0बी0-23 डी-6175, नगदी पन्द्रह हजार रूपये, नोकिया मोबाईल और एक अन्य मोबाईल कटटा अडाकर एवं चालक, क्लीनर और भद्रसेन को उपहतिकारित करके लूटा
- 51. जहाँ तक आरोपी पवन व पप्पू हावड़ा का प्रश्न है, पवन से मोबाईल फोन ओर एक देशी कट्टा की बरामदगी बताई गई है किन्तु उसके संबंध में अभिलेख पर कोई भी प्रमाण नहीं है। तथा आरोपी पप्पू उर्फ हावड़ा का प्र0पी0—14 का मेमोरेण्डम कथन लिया गया था और उसके आधार पर उसके मकान की तलाशी प्र0पी0—16 के जप्ती पत्रक मुताबिक की गई जिसके संबंध में प्र0आर0 प्रेमिसंह अ0सा0—10 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया था जिसमें कोई भी रूपये बरामद नहीं हुए । अभिलेख पर ऐसी भी साक्ष्य नहीं आई है कि जिस व्यक्ति की करब में से व्ही0आर0एस0 फूड्स लिमिटेड के मिल्क पाउडर के कट्टे प्र0पी0—6 लगायत 9 मुताबिक जप्त हुए थे वे पप्पू उर्फ हावड़ा के स्वामित्व व आधिपत्य में रहे हों इसलिये उनके संबंध में अभिलेख पर अभियोजन की सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है तथा पवन व पप्पू उर्फ हावड़ा के संबंध में अ0सा0—1 व 12 की साक्ष्य में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।
- 52. जहाँ तक अभियोजन पक्ष का यह तर्क है कि अन्य अभियुक्तों के द्वारा धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत दी गई सूचना को उनके विरूद्ध उपयोग में लिया जाना चाहिए। इस संबंध में अभियोजन का तर्क इसलिये स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि एक अभियुक्त की सूचना पर किसी तथ्य का पता लगने पर उसके

विरुद्ध उसका उपयोग किया जा सकता है। उस सूचना को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत पप्पू विरुद्ध स्टेट 2000(2) जे0एल0जे0 पेज—391 में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है। इसलिये आरोपी नरेश, महेश, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन और राजवीर के प्र0पी0—2 लगायत 5 के तहत दिये गये धारा—27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत मेमोरेण्डम कथन आरोपी पप्पू उर्फ हावड़ा एवं पवन के संदर्भ में उपयोग में नहीं लाये जा सकते हैं। और उसके आधार पर उन्हें अपराध में संलिप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिये उनके विरुद्ध मामला संदिग्ध हो जाता है। तथा वह संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं।

इस तरह से उपरोक्त समग्र साक्ष्य तथ्य परिस्थितियों और विधिक स्थिति 53. के आधार पर यह न्यायालय आरोपीगण नरेश, महेश, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन एवं राजवीर को धारा–394 भा०द०वि० एवं उक्त डकैती प्रभावित क्षेत्र में डकैती अधिनियम 1981 के प्रभावशील रहने से तथा धारा–11 / 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के विरचित आरोपों में दोषसिद्ध टहराया जाता है। क्योंकि मृत्यु या घोर उपहति के साथ लूट की घटना नहीं बताई गई है न ही ऐसी साक्ष्य आई है इसलिये आरोपीगण को धारा–397 सहपठित धारा–34 भा०द०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। तथा आरोपी पवन और पप्पू उर्फ हावड़ा के विरूद्ध कोई भी आरोप संदेह से परे प्रमाणित न होने से उन्हें सभी अंतर्गत धारा–394, 397 / 34 भा0द0वि0 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट क आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। दोषसिद्ध आरोपीगण नरेश, महेश, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन एवं राजवीर जो कि 21 वर्ष से अधिक आयु के भी हैं, तथा घटना गंभीर प्रकृति की है इसलिये वह अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं रह जाते हैं। अतः उन्हें दण्डाज्ञा पर सुनने के लिये निर्णय स्थिगित किया जाता है।

> (पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

दण्डाज्ञा

54. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर आरोपीगण नरेश, महेश, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन एवं राजवीर के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्क सुने गये। विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है कि घटना गंभीर प्रकृति की होकर औद्योगिक क्षेत्र की है तथा फैक्ट्री का माल लूटे जाने संबंधी है। वर्तमान युग में बेरोजगारी की समस्या जिटल है। इस तरह की घटनाओं से उद्यमी भयभीत होकर इस क्षेत्र में दुबारा इकाई को संचालित करने से कतराते हैं इसलिये वह हतोत्साहित न हो इसलिये आरोपीगण को कठोर दण्ड दिया जावे। जबिक आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सर्वप्रथम तो घटना संदिग्ध है तथा आरोपीगण गृहस्थ व्यक्ति हैं और प्रथम अपराधी हैं। उनके विरुद्ध

पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है। तथा वे लंबे अरसे से अभियोजन का सामना कर रहे हैं। और विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में भी रह चुके हैं इसलिये उन्हें उचित दण्ड मिल चुका है अतः उन्हें पूर्व में भोगी गई अविध से ही दिण्डत कर या अर्थदण्ड से दिण्डत कर छोड़ दिया जावे। या न्यूनतम दण्ड दिया जावे।

23

55. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन मनन किया गया। अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर मनन किया गया। जो घटना प्रमाणित हुई है उसके मुताबिक औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्ड स्थित व्ही0आर0एस0 फैक्ट्री लिमिटेड की औद्योगिक उत्पाद इकाई पारस फैक्ट्री से मोगा पंजाब के लिये भेजे गये मिल्क पाउंडर के भरे द्रक को रास्ते में आरोपीगण द्वारा लुटकर और लूट करने में स्वेच्छ्या द्रक के ड्रायवर क्लीनर व कंपनी के कर्मचारी को उपहति कारित की गई है। ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से समाज के लिये कलंक हैं। और ऐसी घटनाओं से निश्चित तौर पर समाज में क्प्रभाव पड़ता है और भय का वातावरण बनता है। लूट डकैती की घटनाओं को हमेशा ही गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता है तथा इस विशेष क्षेत्र में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 को इसी कारण वर्ष 2000 में लागू किये जाने के बावजूद भी उक्त अपराधों में कोई कमी नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसे अपराध इस क्षेत्र में बहुतायत में होते हैं जिनकी प्रमाणिकता का प्रतिशत अत्यंत न्यून है। क्योंकि आपराधिक सामाजिकता वाले व्यक्तियों से सामाजिक व भला व्यक्ति हमेशा ही किनारा करता है और भय के वातावरण के कारण वह साक्ष्य देने की हिमाकत नहीं करते हैं। दूसरी ओर ऐसी घटनाओं से क्षेत्र के विकास को भी धक्का लगता है। क्योंकि कोई उद्यमी लूट, डकैती अपहरण जैसी घटनाओं के भय से अपना प्रतिष्ठान ऐसे स्थान पर स्थापित नहीं करते हैं। जो प्रतिष्टान स्थापित करते भी हैं वह कुछ समय बाद बंद कर देते हैं और स्थानीय व्यक्तियों के लिये रोजगार का अभाव रहता है। रोजगार का अभाव भी अपराधों की वृद्धि में एक कारक बनता है। इसलिये ऐसी घटनाओं को साधारण तौर पर नहीं लिया जा सकता है। तथा आरोपीगण विचारण के दौरान जिस समयावधि के लिये न्यायिक निरोध में रहे हैं। वह पर्याप्त दण्डादेश नहीं हो सकता है। न ही केवल अर्थदण्ड से उन्हें दण्डित कर छोड़ा जा सकता है क्योंकि धारा—394 भा0द0वि0 के अपराध के लिये कारावास और अर्थदण्ड दोनों सजाएं आवश्यक हैं। इसलिये बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना प्रकरण की परिस्थितियों 🖰 उचित व विधिसम्मत नहीं है इसलिये स्वीकार योग्य नहीं हैं। और केवल प्रथम अपराधी होने के आधार पर भी नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता है। समाज में उचित संदेश देने और विधि की मान्यता को प्रतिस्थापित करने के उद्धेश्य से यथोचित दण्ड आवश्यक है। जैसा कि **यूनियन ऑफ इण्डिया विरुद्ध कुलदीप सिंह 2004** वॉल्यूम-।। एस.सी.सी. पेज-590 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

56. अतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आरोपी नरेश, महेश, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन एवं राजवीर को धारा—394 भा0द0वि० एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के० एक्ट में समेकित रूप से दस—दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000—10,000/—रूपये (दस दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक आरोपीगण को छः छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया

जावे ।

- 57. सभी आरोपीगण जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 58. आरोपीगण नरेश, महेश, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन एवं राजवीर के सजा वारण्ट बनाकर सजा भुगताये जाने हेतु जेल भेजा जावे। एवं सजा वारण्टों के साथ धारा—428 दप्रसं के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किये जावें। जो अवधि कारावास की सजा में से समायोजित की जावे।
- 59. दोषमुक्त आरोपीगण पप्पू उर्फ हावड़ा एवं पवन के भी धारा-428 दप्रसं के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किये जावें।
- 60. चूंकि प्रकरण में अभी शेष आरोपीगण रामाधारसिंह, राजेन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद फरार हैं तथा आरोपी जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र गोपालसिंह गुर्जर के विरूद्ध धारा-317(2) दप्रसं के अंतर्गत मामला पृथक किया गया है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा रहा है अतः प्रकरण सुरक्षित रखा जावे।
- 61. आरोपीगण नरेश, महेश, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवचरन एवं राजवीर को निर्णय की नकल निःशुल्क प्रदान की जावे एवं एक प्रति डी०एम० भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक:

05.02.2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड

डकैती, भिण्ड दिस्तिकारी स्वितिकारी